

प्रधानमंत्री

महाराष्ट्र राज्य

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विभाग आवास

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विभाग

मुख्यमंत्री विभाग

लघुलक्ष्य : दिनांक : 21 अगस्त, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 83 के अनुसार शहरी ग्रामीणों के लिये अवृत्तिकृत जारी वाहन बरितर्थों तथा नगरीय मतिज्ञ बरितर्थों में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम लिंगत का वित्तीय स्वीकृति।

मान्यता

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1769/76/एक/2013-14 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वाहन बरितर्थों तथा नगरीय मतिज्ञ बरितर्थों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के जनपद-ठाणाव की निकाय-ग्रामीणों (II) की 05 आवासी की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या 52/1647/69-1-14-21(आदतर-33)/2014 दिनांक 08.11.2014 द्वारा ₹ 19.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राधिकारिक बजट से विभागित लाभिका से स्वामी-7 में अंकित धनराशि ₹ 9.60 लाख (रुपये नौ लाख साठ हजार रुपये) को द्वितीय/अंतिम लिंगत के रूप में श्री राज्यपाल भरोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिकर्षों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	जनपद/ ग्रामीण का नाम	कुल आवासी की संख्या	परियोजना का नुसारत	अनुसूचित वर्ग के कामीयों के आवासी की संख्या	अनुसूचित वर्ग के विभासीय हेतु परियोजना के कुल आवासीय लागत	दिनांक अंतिम वित्तीय स्वीकृति का रूप में रद्दीकरण करने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तरव/ ग्रामीण (II)	24	02.16	05	19.20	9.60
योग				05	19.20	9.60

(रुपये नौ लाख साठ हजार रुपये)

- उक्त धनराशि का रुपये आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 03 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/रुपयस्था का पूर्णरूपण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दी जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दित्तीय हस्तप्रतिक्रिया घण्ट-6 के अध्याद्य-12 के प्रस्तर-312 से विभासीय स्वीकृति के अनुसार प्रायोजना पर सकान स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकान स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के परचात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- परोन्तु वह इसके लिये दूरी की जानी वा अवश्यकता की रक्षा के लिए प्राधिकरण/संघर्ष लैकल भक्तिरीटी से स्वीकृत करना चाहिए। इसके लिये आपका एवं प्रभावणीय विलयनसा प्राप्त दरों के उपर्युक्त हो जिसमें वही जारी रखा जाए।
- उक्त अवधि/समय/प्राप्तवाला द्वारा एवं ग्रन्थाकाल प्रभाग/राज्य रक्षाएँ इस लिये शर्ती/अवधि के अन्तर्गत उपर्युक्त अनुसार निर्दिष्ट रक्षा के लिये दो जायेगा। ये ज्ञात होनी परिवर्तन अनुपालन नहीं होता।
- उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसके लिये प्रत्यक्ष दरकारी उक्त व्यवस्था के किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय दित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिवर्तन अनुपालन गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कारण एसके बावजूद अनुपालन नहीं होगा।
- सूडा/झूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्ण वीर्य अवधि किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा वह ही वह कार्य किसी भी योजना में समिन्दित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिवर्तन के अन्तर्गत ही इस लिये द्विराघि/पुनरावृति न हो इसे सूडा/झूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य द्वारा, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में या, एवं अन्य विशेषियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय विलय समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे। जिसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदारी संस्था द्वारा तदन्तर्गत रक्षाएँ जिर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/झांडे बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक इन होती है तो इस स्थिति में पुनरीष्टित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय विलय समिति द्वारा या, पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा याद में पुनरीष्टित प्रायोजना लागत के प्रति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सूडा/झूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय विलय समिति द्वारा अनुमोदित आमता योजनाएँ वीर्य आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय विलय समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् भवित्व नगरीय विकास अभियान व सर्वानेता द्वारा परियोजना सम्बन्धी राष्ट्रीय परियादी का संक्षम रक्षारीय नियाकरण कराकर गुणवत्ता आदि वीर्य सहित व्यापेक्षित योजना निर्देशी के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित झड़ा और माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी योजनाएँ पर आशदस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 3030, लखनऊ द्वारा ।।। सचिव/संचय अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति विभाग व प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (शाकोंद), अहालेखाकार (लेखा), 3030, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का जाम, बाठचर संछया, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक रूप के भीतर अदरश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/आकाश/डिपजिट ज्ञाते व गोपनीयाओं में जही गोपनीय जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा विर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व व्यापेक्षम केवल व राज्य के करों की स्त्रीत की कीटी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का व्याप रखा जायेगा।

13. जन विधायिका का अध्ययन चालू होते हुए वर्ष 2015-16 में यथा कलंडर अवधि का सिवा जायेगा तब उपरोक्त विधि हो जाने के पासी इस विधायिका विभाग पर विशेषता एवं उपरोक्त विधायिका विभाग अधिकृत के बाद अनुसूचित विधायिका विधि की विधि तो सहमति शालेय को वापरन करनी जायेगी।
 14. निवेदित/संकेत, राज्य विधायिका विभाग अधिकारण, भौतिक लखनऊ आवाहन की विधि पर अपने लिए विभावन मानवविकास के कलायांत्रिक क्षेत्रों की अधिक विधायिका।
 15. परिवोक्ता से सम्बन्धित निम्नांक दृष्टि से यथाधरमस्था विधायिका अवसुस्त बरने से पूर्व अनुदृष्टि (एम्यूमोट्यू) निष्पादित विधि जाने हेतु सूज द्वारा सम्बन्धित दृष्टि को निर्देशित किया जायेगा।
 16. विवेक की जा रही विधायिका का विषय जाती है आद्यन, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस्टॉटीएस०१०/टैक्स०१०पि हेतु निर्दिष्ट व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं हैं जिसके लिए ही किसी जायेगा।
 २. उपरोक्त विधायिका का विषय चालू नित्यीय वर्ष 2015-16 के आग-द्वयक में अनुदाल संघर्ष ४३ के अनुरूपता लिए शीर्षक “4216-आद्यन पर पूँजीगत परिवर्य आयोजनागत-02-शासी आगास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष विभाग योजना-03-आसरा योजना (आधासीय अवन)-११-वह निर्माण कार्या।” के नामे डाला जायेगा।
 ३. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संघर्ष-2/2015 वा १-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व राज्य-तमस्य पर जारी झार्डैरी के तहत किये जा रहे हैं।

भारतीय,
१८४६
(एन०पी० सिंह)
विश्वा सवित्रा

संख्या १८८७/२०१५/१८८७(१)/६२-१-१३, द्रुतिगांठ।

प्रतिक्रिये द्वारा अधिकृत हो सकता है एवं आपके कार्यकारी हेतु प्रयोग-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रगति, ३०८०, २० सरोदती नायदू मार्ग, इस्लाहाबाद।
 2. निटेशक, स्थानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग ३०८०, छठदां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इस्लाहाबाद।
 3. संचिट, नगरीय रोज़गार एवं मरीदी ३०८०लूल कार्यक्रम विभाग, ३०५० शासन।
 4. ज़िला अधिकारी/अध्यक्ष, ज़िला नगरीय विकास अभियान, ३०८०।
 5. वित्त (व्यव नियंत्रण) अनुगाम-४, ३०८० शासन।
 6. नियोजन अनुगाम-४, ३०८० शासन।
 7. सभाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कृष्णग नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०८०, शासन।
 8. मुद्रय कोषाधिकारी, ज़ाहार अड्ड, लखनऊ।
 9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०८०, लखनऊ।
 10. सारथक बैब मास्टर, सूरा बो विभागीय दैवतलाइट पर अपलोड कराने सेवा।
 11. गाँठ फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एचडी० सिंह)
दिशाप्र समिति।